



**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़**

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 232/2023 (2023/510)

अनवान

1. राजकुमार पिता लालुराम गांछा नि.हजारेश्वर महादेव मंदिर के पास पावटा गेट चित्तौड़गढ़ तह.व जिला चित्तौड़गढ़
2. हेमलता शर्मा जाटव पुत्री ब्रजलाल शर्मा नि. 21 कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के पीछे चन्देरिया तह.व जिला चित्तौड़गढ़

-वादीगण

बनाम

1. ईश्वरलाल पिता सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौड़गढ़
2. कमला पुत्री सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौड़गढ़
3. किशन लाल पुत्र सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौड़गढ़
4. भंवरलाल पिता सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौड़गढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तह.व जिला चित्तौड़गढ़

-प्रतिवादीगण



कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

स्थिति : श्री खुमराज कुमावत अधिवक्ता वादीगण  
निर्णय

दिनांक 09/12/25

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए. को इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के संयुक्त खातेदारी की आराजीयात ग्राम डगला का खेडा पटवार हल्का धनेतकंला के खाता संख्या 244 मे वर्णित आराजी नम्बर 309 रकबा 0.61 हे. स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का जमाबन्दी अनुसार हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात का आपसी बटंवाडा नही होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस हेतू वादी ने पांति बटंवाडा का यह वाद पत्र पेश कर वाद वर्णित आराजीयात मे वादीगण का निहित हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई दिनांक 19.08.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से विभाजन प्रस्ताव तलब

(बीनू देवल)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (स.व.)

किए गए। तहसील चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/राज/2025/1497 A दिनांक 23.09.2025 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर रेकार्ड पर है। बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप होने से अन्तिम डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादीगण के कथनों पर मनन किया। वादीगण का वाद पत्र हसब विभाजन प्रस्ताव ग्राम डगला का खेडा पटवार हल्का धनेतकंला तहसील चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 244 मे वर्णित आराजी 309 रकबा 0.61 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	राजकुमार पुत्र लालुराम गांछा सा हजारेश्वर महादेव मंदिर के पास पावटा गेट चित्तौड़गढ़ खातेदार	309 मे से	0.111	बीड	0.28
	कुल किता	01	0.111		0.28
2	हेमलता शर्मा(जाटव) पुत्री बृजवासीलाल शर्मा सा 21 किर्तिनगर चन्देरिया पुलिस स्टेशन के पीछे चित्तौड़गढ़ खातेदार	309 मे से	0.105	बीड	0.26
	कुल किता	01	0.105		0.26
3	ईश्वरलाल पिता सुवा 7/197 बलाई सा.देह खातेदार कमला पुत्री सुवा 7/197 बलाई सा.देह खातेदार किशनलाल पिता सुवा 183/394 बलाई सा.देह खातेदार रहन BRKGB बैंक शाखा धनेतकंला भवरलाल पिता सुवा 183/394 बलाई सा.देह खातेदार BRKGB बैंक शाखा धनेतकंला	309 मे से	0.394	बीड	0.99
	कुल किता	01	0.394		0.99

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(बीनू देवल)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (उत्तर)

## मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. राजकुमार पिता लालुराम गांछा नि.हजारेश्वर महादेव मंदिर के पास पावटा गेट चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. हेमलता शर्मा जाटव पुत्री ब्रजलाल शर्मा नि. 21 कीर्ति नगर पुलिस स्टेशन के पीछे चन्देरिया तह.व जिला चित्तौडगढ

-वादीगण

बनाम

1. ईश्वरलाल पिता सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ
2. कमला पुत्री सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ
3. किशन लाल पुत्र सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ
4. भंवरलाल पिता सुवा बलाई नि.धनेतकंला तह.व जिला चित्तौडगढ
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

-प्रतिवादीगण



कार्यवाही : 53 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या : 232/2023 (2023/510)

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री खुमराज कुमावत की एवं उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव ग्राम डगला का खेडा पटवार हल्का धनेतकंला तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 244 मे वर्णित आराजी 309 रकबा 0.61 हे. का निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार का नाम	आराजी न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	राजकुमार पुत्र लालुराम गांछा सा हजारेश्वर महादेव मंदिर के पास पावटा गेट चित्तौडगढ खातेदार	309 मे से	0.111	बीड	0.28
	कुल किता	01	0.111		0.28
2	हेमलता शर्मा(जाटव) पुत्री बृजवासीलाल शर्मा सा 21 कीर्तिनगर चन्देरिया पुलिस स्टेशन के पीछे चित्तौडगढ खातेदार	309 मे से	0.105	बीड	0.26
	कुल किता	01	0.105		0.26

(बीनू देवल)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ (राज.)

3	ईश्वरलाल पिता सुवा 7/197 बलाई सा.देह खातेदार कमला पुत्री सुवा 7/197 बलाई सा.देह खातेदार किशनलाल पिता सुवा 183/394 बलाई सा. देह खातेदार रहन BRKGB बैंक शाखा धनेतकंला भवरलाल पिता सुवा 183/394 बलाई सा.देह खातेदार BRKGB बैंक शाखा धनेतकंला	309 मे से	0.394	बीड	0.99
	कुल किता	01	0.394		0.99

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। यह आज दिनांक 09/12/25को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(बी. देवला)  
सहायक कलेक्टर एवं  
ज्येष्ठ अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (म.प्र.)